

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
272/2025

दायर दिनांक
13.05.2025

निर्णय दिनांक
08.09.2025

उनवान

1. भुरा पुत्र ज्वारा धाकड़, निवासी-किशनगढ़, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा-राज
2. जमनी पत्नि गोपाल धाकड़ निवासी-किशनगढ़, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा-राज
3. देऊ पुत्री हजारी धाकड़ निवासी-किशनगढ़, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा-राज.
4. मदन पुत्र गोपाल धाकड़ निवासी-किशनगढ़, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा-राज.
5. महावीर पुत्र गोपाल धाकड़ निवासी-किशनगढ़, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा-राज
6. रोपा पुत्र ज्वारा धाकड़ निवासी-किशनगढ़, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा-राज.
7. रामस्वरूप पुत्र गोपाल धाकड़, निवासी-किशनगढ़, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. सलीम पुत्र खुदाबख पिनारा, निवासी-किशनगढ़, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा-राज,
2. रामस्वरूप पुत्र गोपाल धाकड़, निवासी-किशनगढ़, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।
3. लाली देवी पत्नि श्री सोहन लाल तेली, निवासी किशनगढ़, तहसील कोटडी भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला भीलवाडा

— विपक्षीगण

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता, प्रार्थीगण श्री विरेन्द्र सिंह उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम किशनगढ़ पटवार हल्का क्षेत्र किशनगढ़ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नन्दराय तहसील व कोटडी जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 705 रकबा 1.5988 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।



उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मैंने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मैंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम किशनगढ पटवार हल्का क्षेत्र किशनगढ भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नन्दराय तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 705, रकबा 1.5988 हैक्टेयर, कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिक्केन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बडलियास को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 08-09-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अशोक कुमार सिंह)
उपर्युक्त अधिकारी
भीलवाड़ा